प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 13.05.2026

दबिश के दौरान 24 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे 24 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 01 वारण्टी राम अनुज पुत्र चन्द्रिका प्रसाद निवासी ग्राम लहुरा देवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री उमाशंकर त्रिपाठी।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 03 वारण्टीगण 01. मो0 अनस पुत्र फकरुल हसन निवासी दुधारा 02. धीरज पुत्र तीरथ निवासी बरड़ाड 03. शम्भू पुत्र निर्मल निवासी डिघवा दिगेश्वरनाथ थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री रामसूरत प्रसाद, उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा, उ0नि0 श्री रमेश यादव, का0 दीपक सिंह, हे0का0 बाल गोविन्द, हे0का0 जयचन्द्र कन्नौजिया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 03 वारण्टीगण 01. धर्मेन्द्र राय उर्फ टिट्टू राय पुत्र गणेश राय साकिन सिरसी 02. राधेश्याम पुत्र फेराई केवट निवासी दौलतपुर 03. राम आज्ञा यादव पुत्र गनेश यादव साकिन दीपपुर थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामकेवल भारती, उ0नि0 श्री अनिल कुमार राय, का0 मैनेजर यादव, रि0का0 आदर्श पाण्डेय, पीआरडी राजाराम ।

थाना महुली पुलिस द्वारा 09 वारण्टीगण 01. रामजतन पुत्र शेषनरायन ग्राम कालीजगदीशपुर 02. हरीराम पुत्र घिसियावन चौधरी ग्राम कोडरी धुसवा 03. सुनील पुत्र मेवालाल ग्राम नाथनगर 04. धर्मेन्द्र पुत्र हरीराम चौधरी ग्राम ग्राम कोडरी धुसवा 05. गिरजेश उर्फ गुरई पुत्र रघुनन्दन ग्राम भिटनी दुधारी उर्फ नाथनगर 06. राजेन्द्र निषाद पुत्र सुचित ग्राम अछती 07. विजयी पुत्र लहरी ग्राम अलीनगर 08. सुनील कुमार पुत्र मेवालाल ग्राम भिटनी दुधारी उर्फ नाथनगर 09. पिन्की पुत्री सुखराज ग्राम अलीनगर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री जयहिन्द भारती, उ0नि0 श्री प्रमेश कुमार मिश्रा, हे0का0 मिथिलेश्वर चौधरी, हे0का0 श्रीकान्त यादव, म0रि0का0 मुस्कान सिंह तथा म0रि0का0 ललिता यादव।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्त 01. रामनाथ पुत्र सीताराम निवासी गगनई बाबू 02. मोती पुत्र राजबली निवासी बनकसिया 03. जयराम पुत्र संतराम यादव निवासी ददरा 04. अहमद अली पुत्र मंजूर अली निवासी नगपुर थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0 नि0 श्री योगेश राय, उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह, उ0नि0 श्री आजम अंसारी, उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, का0 संदीप गुप्ता, हे0का0 रोहित कुमार, का0 चन्दन यादव।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त भीमचन्द पुत्र रामप्रीत निवासी बेलवा ठकुराई थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, का0 रोहित, का0 ओमप्रकाश चौरसिया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्त 01.इद्रीस अली पुत्र घुरहू निवासी फत्तेपुर नन्दौर 02.नसीम अली पुत्र जावेद अली निवासी फत्तेपुर थाना बखिरा 03. श्रीमती तीजा देवी पत्नी जोखन निवासी सोनौरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राम मिलन साहनी, का0 अंगद यादव, का0 अवधेश यादव, का0 प्रमोद शर्मा, रि0म0का0 शेफाली सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 13 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 319 वाहनों से 3,79,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 13.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 319 वाहनों से 3,79,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती से दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित बाल अपचारी को किया गया निरुद्ध

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **थाना कोतवाली खलीलाबाद** पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 13.05.2026 को **थाना कोतवाली खलीलाबाद** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 375/2026 धारा 64(1),351(3) से सम्बन्धित वांछित बाल अपचारी को डीघा बाईपास के पास से अभिरभा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त बाल अपचारी के विरुद्ध वादिनी के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आज दिनाँक 13.05.2026 को उक्त बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

अभिरक्षा में लेने वाले पुलिस बल का विवरण- अपराध निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह, हे0का0 पप्पू सिंह, का0 संदीप यादव, रि0का0 आषीश कुमार यादव, रि0का0 दिपेश कुमार।

अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर, क्षेत्राधिकारी यातायात के मौजूदगी में सोनी होटल कट, दुर्गा मंदिर मगहर कट पर बैरियर लगाकर बंद कराया गया तथा मगहर से लेकर टेमा तक ब्लैक स्पॉट का सर्वे कर सुधारात्मक कारवाई किया जा रहा है । ZFD कोतवाली खलीलाबाद का मार्ग है इसपर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है।

ZFD महुली, धनघटा और कोतवाली खलीलाबाद की टीम तथा टीम प्रभारी के साथ मीटिंग की गयी जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके।

क्रैक साइबर क्राइम के तहत रिश्तेदार बनकर की गई साइबर ठगी के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना बखिरा पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 50 हजार रु0 की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना बखिरा टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई कार्यवाही करते हुए 01 युवत के खाते से रिश्तेदार बनकर किए गए साइबर फ्रॉड के माध्यम से निकाले गये 50,000 रुपये को वापस कराया गया। थाना बखिरा साइबर टीम द्वारा प्राप्त शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए मामलें में पीड़ित के बैंक खाते से साइबर फ्रॉड के माध्यम से निकाली गई धनराशि को साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं पोर्टल www.cybercrime.gov.in के माध्यम से संबंधित बैंक/ आनलाइन शापिंग प्लेटफार्म से समन्वय स्थापित कर कुल 50 हजार रु0 की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई है।

घटना का विवरण:* अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा रिश्तेदार बनकर, किसी आकस्मिक व्यक्तिगत जरूरत और मजबूरी का हवाला देते हुए पीड़ित रघुनन्दन सोनी पुत्र केथन वर्मा निवासी नन्दौर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से 50000/- माँगे। जिसके उपरान्त हकीकत पता चलने पर पीड़ित को अहसास हुआ कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला आरक्षी सुमन कुमारी द्वारा तत्काल NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 33101260011113 पंजीकृत पर संबंधित बैंक से संपर्क कर व तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से पुर्ण धनराशि को होल्ड कराया और विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के आदेश से आज आवेदक के खाते में धनराशि (₹50,000) वापस करा दी गयी। अपनी मेहनत की कमाई वापस पाकर पीड़ित ने पुलिस प्रशासन एवं साइबर टीम का सहृदय आभार व्यक्त किया है।

साइबर सेल टीम: व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार, आरक्षी चन्द्रभान सिंह, महिला आरक्षी अनामिका सिंह, महिला आरक्षी सुमन।

पुलिस की विशेष चेतावनी: इस प्रकरण के माध्यम से संतकबीरनगर पुलिस आमजन को सचेत करती है कि:

☐ कोई व्यक्ति फोन पर रिश्तेदार या दोस्त बनकर पैसों की मांग करे, तो बिना उसकी पहचान की पुष्टि (वीडियो कॉल या अन्य माध्यम से) किए पैसे न भेजें।

☐साइबर अपराधी अक्सर आवाज़ बदलकर या भावनात्मक दबाव बनाकर ठगी करते हैं।

☐किसी भी संदिग्ध लेनदेन की सूचना तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर दें।

इस पर पीड़िता व उसके परिजनों द्वारा थाना धनघटा पुलिस की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी।

जनपद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें। सावधानी ही सुरक्षा है।